

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2882
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

2882. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

श्री जी. सेल्वम :

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने नोटरी पब्लिक नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) क्या इन नोटरी वकीलों की सेवाएं एक विशिष्ट अवधि/वर्षों के लिए होती हैं और उनके कार्यकाल समाप्ति के बाद नवीकरण किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/न्यायालय-वार नोटरी के कितने प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण किया गया है ;

(घ) क्या देश में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में नोटरी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में नोटरी की नियुक्ति के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(च) देश में विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नोटरियों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
प्रसाद)

(श्री रविशंकर

(क) : विगत तीन वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध पर संलग्न है।

(ख) : जी हां। नोटरी अधिवक्ताओं को आरंभ में पांच वर्ष के अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात, व्यवसाय प्रमाण पत्र को नोटरी नियम, 1956 के नियम 8 ख के साथ पठित नोटरी

अधिनियम, 1952 की धारा 5 (2) के अधीन एक समय में पांच वर्ष के अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान नवीकृत किए गए व्यवसाय प्रमाण पत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार है

वर्ष	संख्या
2016	799
2017	1744
2018	3110
2019 (आज की तारीख तक)	188

यह विभाग व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण से संबंधित राज्य-वार या न्यायालय-वार कोई डाटा नहीं रखता है ;

(घ) : नोटरी नियम, 1956 का नियम 7(3)(ख) साक्षात्कार बोर्ड से उस क्षेत्र की जिसमें अभ्यर्थी व्यवसाय करना चाहता है वाणिज्यिक महता पर और साक्षात्कार के समय उस क्षेत्र में विद्यमान नोटेरियों की संख्या पर विचार किये जाने कि अपेक्षा करता है। नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 में विहित देश में जनसंख्या के अनुपात के संबंध में कोई ऐसा मानक नहीं है।

(ङ) और (च) : नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदनों का प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है और भिन्न राज्यों के लिए नोटेरियों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के अधीन विरचित उपबंधों के अनुसार समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2018-2019 के दौरान, पूरे देश में नोटेरियों की नियुक्ति के लिए आयोजित साक्षात्कार किए गए और प्रक्रियात्मक अपेक्षा को पूर्ण करने के पश्चात व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

विगत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	* वर्ष 2018-19 के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशें
अंदमान और निकोबार	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	-	172
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
असम	-	-	13	-
बिहार	-	-	117	51
चंडीगढ़	24	-	-	29
छत्तीसगढ़	-	-	-	182
दिल्ली	-	-	-	324
दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-
दमण और दीव	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	16
गुजरात	658	-	-	1896
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	95
हरियाणा	203	-	-	374
झारखंड	-	-	43	23
जम्मू- कश्मीर	-	-	-	-
केरल	-	-	-	441
कर्नाटक	329	-	-	570
लक्षद्वीप	-	-	-	3
मेघालय	-	-	1	-
महाराष्ट्र	-	-	-	1949
मणिपूर	-	-	-	-
मिजोरम	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	193
नागालैंड	-	-	-	-
ओडिशा	-	-	56	10
पंजाब	170	-	-	351
पुंडुचेरी	-	-	-	28
राजस्थान	600	-	442	344
सिक्किम	-	-	-	-
तमिलनाडू	-	-	-	748
त्रिपुरा	-	-	7	-
तेलंगाना	-	-	-	79
उत्तर प्रदेश	-	206	-	298
उत्तराखंड	-	18	-	14
पश्चिमी बंगाल	-	-	80	11
कुल	1984	224	759	8201

* वर्ष 2018-2019के दौरान, पूरे देश में नोटेरियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार किए गए और प्रक्रियात्मक अपेक्षा को पूर्ण करने के पश्चात व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।